FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......सहायक कलक्टर (SDO) बायतु...... मुकाम..........

......खेमाराम कौरा...... बनाम ......खेराजराम कौरा......

किस्म मुकदमा......राजस्व वाद...... नं. ....214/2020.... सन् 2020......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-11-2020	~~प्रार्थी~~/वादी/~~अपीलांट~~ के वकील श्री ....श्यामाराम सारण.... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/~~अपील~~ धारा ....88 RT Act.... राजस्थान काश्तकारी/भू ~~राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/11/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
23/11/20	वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील प्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/02/2021 को पेश हो।	
03/02/21	वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादी के सम्मन तामील अदम तामील/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/06/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

14/06/21 — वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के समन तामील होकर तामील प्राप्त। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/10/21 को पेश होवे।

14/10/21 — वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के समन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील गैरउपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई प्रतिवादीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30/10/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

30/10/21 — पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत लीलाला में रखी गई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या-2 स्वयं pw-1 पनाराम पुत्र कुशाराम जाति [illegible] निवासी लीलाला पटवार मण्डल-बायतु पनजी [illegible] बायतु व pw-2- स्वतंत्र गवाह [illegible] उम्र-42 वर्ष जाति-राईका निवासी-[illegible] लीला पटवार मण्डल-बायतु पनजी तहसील-बायतु जिला-

(पनाराम)

(भंवरलाल)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई वादी का पक्ष संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 से 12 के पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा-मीठिया तला पटवार मण्डल-बायतु पनजी तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर में खसरा नम्बर-339 रकबा-0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर-821/340 रकबा-66.3542 हैक्टेयर कुल रकबा-66.4270 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता कुंभाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। कुंभाराम के फौत होने पर कुंभाराम के विधिक उत्तराधिकारी वादीगण के नाम से फौतगी नामान्तरकरण पारित कर कुंभाराम के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। फौतगी नामान्तरकरण पारित करते समय वादीगण का वास्तविक नाम अंकित न कर गलत नाम खीमा व पाता अंकित कर दिया जबकि कुंभाराम के कोई जायदा पुत्रो में से किसी का भी नाम खीमा व पाता नहीं था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश बिना विधिक जांच किये वादीगण का गलत नाम खीमा व पाता अंकित कर दिये जबकि वादीगण का वास्तविक नाम खेमाराम व पताराम है। तथा वादीगण के पिता की फौतगी पर वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में खेमाराम व पताराम ही अंकित होना चाहिये था। वादीगण के मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड परिवार राशनकार्ड सहित [illegible] गण का नाम खेमाराम [illegible] वादीगण इसी नाम से गांव [illegible] जाते है। खीमा व पाता [illegible] एक ही व्यक्ति के नाम है इस नाम से गांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत नाम खीमा व पाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के स्थान पर खेमाराम व पताराम राजस्व रेकर्ड में घोषित किये जाने की घोषणा की जावे। हमने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ-पत्रो तथा पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया की वादीगण खेमाराम व पताराम के नाम ही राजस्व रेकर्ड में खींया व पाता दर्ज होये गये है जो गलत दर्ज किये गये है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादीगण के गलत दर्ज नाम खींया व पाता के स्थान पर खेमाराम व पताराम दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा- मीठिया तल्ला पटवार मण्डल- बामडु पनजी तहसील- बामडु में वादीगण के राजस्व रेकर्ड में गलत नाम खींया व पाता के स्थान पर खेमाराम व पताराम के नाम का खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बामडु राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के गलत नाम खींया व पाता के स्थान पर खेमाराम व पताराम दर्ज व अमलदरामद करे। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी / कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

इजलास श्री जगदीशसिंह आशिया R.A.S.

खेमाराम करो बनाम खेराजराम करो

दावा बाबत रा० का० 88 RTAct

मुकदमा नं. 219/20 सन् 2020

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय (कैम्प ग्राम प० लीलाला)

व हाजरी श्री घमण्डाराम सारण एड० मिनजानिब मुदई व —

— मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी

दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा- मीठिया तला पटवार मण्डल - बायतु पन्जी तहसील - बायतु में खसरा नम्बर- 339 रकबा- 0.0728 हेक्टयर खसरा नम्बर- 821/340 रकबा- 66.354 हेक्टयर कुल रकबा- 66.4270 हेक्टयर की भूमि में वादीगण के दर्ज नाम खींया व पाता के स्थान पर वादीगण के सही नाम खेमाराम व पन्नाराम नाम के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी मुताबिक तहसीलदार बायतु राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम — मुबलिंग — बाबत् —

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 10 2021 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुहर [stamp: कलक्टर (SDO) बायतु]

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराल हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

सत्यमेव

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. खेमाराम पुत्र बुधाराम
2. पत्ताराम पुत्र बुधाराम
जाति - राईका। निवासी - मीठिया तला पटवार मण्डल - बलाऊ पनजी तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर

1. खेराजराम पुत्र गोपराम
2. जोगों देवी पत्नि गोपराम
3. हेमाराम पुत्र गोपराम
4. चेतनराम पुत्र आम्बाराम
5. पत्ताराम पुत्र आम्बाराम
6. दल्लूदेवी पत्नि आम्बाराम
7. पपाराम पुत्र आम्बाराम
8. नागाराम पुत्र वीरमाराम
9. भंवरलाल पुत्र नागाराम
10. राजूराम पुत्र नागाराम
11. मेहराराम पुत्र पूंजाराम
12. लीलादेवी पत्नि मोडूराम
जाति - राईका निवासी - मीठिया तला, बायतु पनजी तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर
13. तहसीलदार बायतु जिला - बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:03:46 IST
Reason: SelfAttested